अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं प्रबोधन समिति की पॉचवी बैठक जो दिनांक 9–8–2007 को माननीय मुख्य मत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण ।

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया :–

1श्री रंगीला राम राव, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हि0प्र0
2. श्री सिंघी राम, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री, हि0प्र0
3. श्री कुलदीप कुमार, माननीय उद्योग मन्त्री हि0प्र0
4.श्री ईश्वर दास, माननीय विधायक आनी
5. श्री रघु राज, माननीय विधायक , कसौली,
6.श्री रघुवीर सिंह, माननीय विधायक , लाहौलस्पिति
7.श्री बीरू राम किशोर, माननीय विधायक,गेहड़वी
8.श्री सोहन लाल, माननीय विधायक , कसुम्पटी
9. श्री मस्त राम, माननीय विधायक, करसोग
10 कैप्टन श्री आत्मा राम , माननीय विधायक, राजगीर
11.श्री दमोदर दास, माननीय विधायक बल्ह
12. श्री भीम सेन, प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार
13.श्री दलजीत सिंह, सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार
14. श्री सतीश चन्द्र ठाकुर, निदेशक, अभियोजना हिमाचल प्रदेश
15.श्री ओ0सी0 ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तचर)
16. श्री बी. कमल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस (कानून एवॅ व्यवस्था)
17. श्री सोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक
18. श्रीमति अनुराधा ठाकुर, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0
19. श्री वी.के मौदगिल, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0

सर्व प्रथम प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय तथा उपस्थित समस्त गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर स्वागत किया । उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अत्याचारों से सम्बधित मामलों की समीक्षा के सम्बन्ध में इस पांचवी बैठक का आयोजन किया गया है ।

तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए हार्दिक अभिनन्दन किया और साथ ही बैठक में उपस्थित सभी गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों का स्वागत किया इसके पश्चात माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत करवाया कि सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए प्रयत्नशील है ।

Information supplied under RTI Act 2005

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

इसी दिशा में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को कार्यान्वित किया गया है । उन्होनें बताया कि यह सन्तोष का विषय है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो पर अत्याचार की अधिक घटनाए घटित नहीं होती किन्तु फिर भी हमें ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखनी होगी तथा अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का प्रबोधन जिला व राज्य स्तर पर निर्धारित अवधि में किये जाने पर बल दिया ।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूचि मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई ।

मद संख्या :–1 26.8.2006 को हुई (चौथी) बैठक की कार्यवाही की समीक्षा

अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत गत 5 वर्षो में दर्ज जिलावार मामलों व उनके निपटारे की समीक्षा ।

गत बैठक में अधिनियम के तहत गत 5 वर्षो में पुलिस के पास दर्ज/निपटाये गये मामलो की समीक्षा के दौरान वर्ष 2005 के अन्त में 5 मामले जो अन्वेक्षणाधीन लम्बित थे उन्हें 30 दिन की निर्धारित अवधि में अन्वेक्षण कार्य पूर्ण न होने बारे पुलिस विभाग को सूचना देने का निर्णय लिया गया था ।

पुलिस विभाग द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि अधिनियम के तहत 5 वर्षो में पुलिस के पास जो 5 मामले अन्वेक्षणाधीन थे, का निपटारा किया जा चुका है । जिसमें 3 मामले न्यायालयों में विचाराधीन है, 1 मामले में रद्द रिपोर्ट प्रस्तुत न्यायालय की गई तथा 1 मामले में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है व अभियुक्तों को बरी किया गया है ।

अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

(पुलिसविभाग)

(i)श्री बीरू राम किशोर माननीय विधायक, गेहडवी द्वारा गत बैठक में अवगत करवाया गया था कि ग्राम पंचायत पपलोआ तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र में दो अनुसूचित जाति की कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है । सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों को जाने नही दिया जा रहा है ।

चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा पुलिस विभाग उपरोक्त मामले में तुरन्त छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत पपलोआ के गांव मल्होट तथा कोट में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है गांव मलहोट में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में कुल 16 बच्चे है जिनमें 11 बच्चे अनुसूचित जाति से सम्बधित है जो प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्र में आ रहे है । इस केन्द्र में कार्यकर्ता तथा सहायिका अनुसूचित जाति से सम्बंधित हैं। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्र कोट में कुल 33 बच्चे है जिनमें 22 बच्चे अनुसूचित जाति से सम्बधित है । इस आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता के स्थानान्तरण पर नजदीक के आंगनवाड़ी केन्द्र गाह की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोट केन्द्र का अतिरिक्त कार्यभर सौंपा गया है इस केन्द्र की कार्यकर्ता तथा सहायिका भी अनुसूचित जाति से ही सम्बन्ध रखती है । इन केन्द्रो का निरीक्षण बाल विकास

Information supplied under RTI Act-2005

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

परियोजना अधिकारी झंडूता द्वारा दिनांक 17–1–2007, 22–2–2007 तथा 16–5–2007 को किया गया तथा इन केन्द्रों में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्र मल्होट का निरीक्षण वृत पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 17–1–2007, 22–2–2007 तथा 16–5–2007 को किया गया तथा पाया कि सभी बच्चे केन्द्र में आ रहे है तथा स्थानीय जनता को इन केन्द्रों के संचालन में कोई शिकायत नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आंगनवाड़ी के बच्चों को रोकने बारे जो बात बताई गई है वह निराधार है ।

पुलिस विभाग द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में सूचित किया गया कि मामले की छानबीन प्रभारी थाना तलाई द्वारा करवाई गई जिन्होंने ग्राम पंचायत पपलोहा जाकर मामले की छानबीन की ।छानबीन और गवाहों के व्यानों से पाया गया कि इन केन्द्रों में जाति से सम्बन्धित कोई भेदभाव नही है । किसी भी बच्चे को आंगनवाड़ी केन्द्र में जाने से नहीं रोका गया है व न ही कभी जातिवाद का कोई झगड़ा हुआ है ।

अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

(पुलिस विभाग)

(ii) गत बैठक में श्री सींघी राम मानृनीय खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री द्वारा ग्राम पंचायत कुनाह जिला कांगड़ा में श्रीमति शकीना देवी की हत्या का मामला1998–99 में पुलिस थाना ज्वालामुखी में दर्ज हुआ था, बारे पुलिस विभाग से मामले में न्वीनतम स्थिति बारे अवगत करवाने का अनुरोध किया था ।

पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत कुनाह जिला कांगड़ा में श्रीमति शकीना देवी हत्या का मामला 1998–99 में पुलिस थाना ज्वालामुखी में दर्ज हुआ था। यह मामला धरा 147/149/302 भारतीय दण्ड सहिता व धरा 3 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था जिसमें, न्यायालय में परस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 6–9–1999 को माननीय न्यायधीश विशेष न्यायालय धर्मशाला जिला कांगड़ा द्वारा अन्तिम आदेश पारित किए जा चुके है तथा सभी अभियुक्तों को बरी किया गया है ।

मद पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लिया गया कि इस मामले में अभियुक्तों को किस आधार पर बरी किया गया है । अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह विभाग को निर्देश दिए कि मामले में अन्वेक्षण अधिकारी व न्यायलय में पैरवी करने वाले अधिवक्ता के विवरण सहित पूर्ण मामला विभागीय नस्ति पर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जाए।

(पुलिस विभाग)

(iii) गत बैठक में श्री बोधराज माननीय विधायक गंगथ ने सूचित किया था कि ग्राम पंचायत बैह जिला कांगड़ा में स्कूल में दिन का खाना बनाने वाली महिला अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होने के कारण उक्त महिला को नौकरी से हटा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग को मामले में जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था ।

शिक्षा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार " जिला कांगड़ा में ग्राम बैह नाम की कोई भी पंचायत नहीं है तथा न ही बैह नाम की कोई राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, जंहा से खाना बनाने वाली अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला को नौकरी से हटाया गया है जिला कांगडा में राजकीय

Information supplied under RTI Act-2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

प्राथमिक पाठशाला बैह ढौंटा खण्ड डाडासीबा तथा बैह मस्कर खण्ड ज्वाली है परन्तु उक्त पाठशालाओं में किसी भी खाना बनाने वाली अनुसूचित जाति की महिला को नौकरी से नहीं हटाया गया है ।"

अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

(शिक्षा विभाग)

(iv) श्री मस्त राम माननीय विधायक करसोग द्वारा गत बैठक में अनुरोध किया गया था कि अन्वेक्षण उपरान्त बन्द किए गए मामलों की सूचि उपलब्ध करवाई जाए।

पुलिस विभाग द्वारा अन्वेक्षण उपरान्त बन्द किए गए मामलो की सूचि बैठक में प्रस्तुत की गई ।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पुलिस विभाग द्वारा अपने स्तर पर अन्वेक्षण उपरान्त मामलों को बन्द नहीं करेगा बल्कि ऐसे मामलों को जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय स्तर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में प्रस्तुत करके उन पर चर्चा करने के बाद बन्द किया जाए ।

(पुलिस विभाग)

(v) गत बैठक में श्री एस.के. भारद्वाज माननीय विधायक द्वारा सूचित किया गया था कि वर्ष 2004 में ठाकरी देवी निवासी प्रभा चुराह (चम्बा) के पति की हत्या का ममला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है । गत बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे कि मामले में जांच करके रिर्पोट शीघ्र प्रस्तुत करें ।

अतः पुलिस विभाग द्वारा मामले में नवीनतम स्थिति से अवगत करवाते हुए सूचित किया गया कि वर्ष 2004 में ठाकरी देवी निवासी प्रभा चुराह(चम्बा)के पति की हत्या का मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है । इस बारे जॉच पुलिस द्वारा करवाई गई। जॉच पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा की रिपोर्ट व गवाहों के ब्यानात से केसरू राम की मौत एलकोहल का प्रयोग किए जाने से हुई थी तथा इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि मृतक की पत्नी को भी दी जा चुकी है । अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

(पुलिस विभाग)

(2) <u>न्यायलय में लम्बित मामलों व उनके निपटारे की स्थिति बारे समीक्षा।</u>

गत बैठक में अधिनियम के तहत गत 5 वर्षो में न्यायलयों में लम्बित मामालों की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि गृह विभाग अधिनियम के अन्तर्गत न्यायलयों में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने तथा पुलिस को अन्वेक्षण प्रक्रीया में सुधार लाने के लिए लिखेगे ।

मद पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की अन्वेक्षण प्रक्रीया ,न्यायालय में मामलों के प्रस्तुतिकरण ,न्यायालय में मामलों की पैरवी तथा न्यायालयों में लम्बित मामलों के निपटारे मे हो रहे विलम्ब बारे असन्तोष व्यक्त किया गया ।अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह विभाग ,पुलिस विभाग तथा अभियोजन विभाग को निर्देश दिए कि मामलों के शीघ्र निपटारे बारे यथा समय उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस

Information supplied under RTI Act-2005

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

विभाग तथा अभियोजन विभाग को निर्देश दिए कि भविष्य में अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों, जिन मामलों में अन्वेक्षण उपरान्त रद्द रिपोर्ट तैयार की गई, न्यायालयों में प्रस्तुत, न्यायालयों द्वारा निपटाए गए तथा न्यायालय में लम्बित मामलों की नाम वार सूचना अनुसूसचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों की अलग–अलग पूर्ण पते सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए ताकि अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जा सके ।

(गृहविभाग /पुलिस/अभियोजन विभाग)

दिनांक 9–8–2007 को पॉचवी बैठक की अनुवर्ती मदें

मद संख्या:–1 अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत वर्ष 2006 में दर्ज मामलों व उनके निपटारे की जिलावार समीक्षा ।

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने कलैण्डर वर्ष 2006 तथा वर्ष 2007 में 31.7.2007 तक अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पुलिस विभाग से प्राप्त दर्ज मामलों की सूचना निम्न अनुसार बैठक में प्रस्तुत की :–

Year	No of cases brought Forward	No of cases registered during the year	Total No of cases	No of cases charge sheeted	No of cases closed after investigation	No of cases pending investigation
2006	5	68	73	35	22	16
2007 (1.1.07 to 31.7.2007	16	69	85	27	25	33

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया कि वर्ष 2006 तक 16 मामले अन्वेक्षणाधीन लम्बित थे जिनकी संख्या 31.7.2007 तक बढ़कर 33 हो गई है । अनुसूसचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम)1989 नियम 1995 के तहत मामलों का अन्वेक्षण निर्धारित 30 दिन की अवधि में पूर्ण नही हो रहा है । अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग को अन्वेक्षण कार्य प्रकीया में सुधार लाने के निर्देश दिए ।

(पुलिस विभाग)

मद संख्या : –2 वर्ष 2006 में न्यायलय में लम्बित मामलों व उनके निपटारे की स्थिति बारे जिलावार समीक्षा।

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने कलैण्डर वर्ष 2006 तथा वर्ष 2007 में 31.7.2007 तक अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित मामलों की सूचना निम्न अनुसार बैठक में प्रस्तुत की :–

Year	No of Cases brought forward	No of Cases Received during the year	Total No of cases	No of Cases Disposed off	No of cases Convicted	No of cases acquittal	No of cases pending
2006	147	38	185	28	6	22	157
2007 (1.1.07 to 31.7.2007	157	22	179	16	3	13	163

Information supplied under RTI Act-2005

-5-

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया कि कलैण्डर वर्ष 2006 तक 157 मामले न्यायालयों में लम्बित थे जिनकी संख्या 31.7.2007 तक बढ़कर 163 हो गई है। अध्यक्ष महोदय ने चिन्ता जताई कि दर्ज मामलों की अपेक्षा कन्वीक्षन रेट बहुत कम है जिससे प्रतीत होता है कि किसी न किसी स्तर पर कोई कमी जरूर रही है जिस कारण कन्वीक्शन रेट बहुत कम है । इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लम्बित मामलों की संख्या भी अधिक है जिसे शीघ्र निपटाया जाना अति आवश्यक है ।

(अभियोजन/पुलिस विभाग)

<u>मद संख्याः –3 वर्ष 2006–07 में अत्याचार से पीडितो को दी गई राहत राशि के वितरण की समीक्षा ।</u>

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा वर्ष 2006 में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम)1989 के अन्तर्गत पीढित व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रदान की गई राहत राशि का विवरण बैठक में निम्न अनुसार प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	राशि	लाभान्वितों की संख्या
1	शिमला	37,500	3
2	सोलन	25,000	1
3	सिरमौर	58,152	6
4	चम्बा	––	––
5	कांगडा	1,37,500	7
6	कुल्लू	––	––
7	ऊना	75,000	3
8	मण्डी	1,43,750	7
9	हमीरपुर	68,250	9
10	बिलासपुर	87,500	5
11	किन्नौर	––	––
12	लाहौलस्पिति	––	––
	कुल	6,32,652	41

<u>मद संख्याः –4 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 /नियम 1995 के प्रचार/प्रसार की समीक्षा ।</u>

प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जरागरूकता सृजन अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति रोकथाम अधिनियम

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

Information supplied under RTI Act-2005

PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh

1989 के प्रावधानों के व्यापक प्रचार /प्रसार हेतु प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में वर्ष 2006–07 में जिला स्तर पर 24 उपमण्डल स्तर पर 4 ,तहसील स्तर पर 69 खण्ड स्तर पर 7 ग्राम पँचायत स्तर पर 148 तथा आंगनवाड़ी वृत स्तर पर 372 कुल 624 जागरूकता शिविर/कार्याशालाओं के आयोजन हेतु 24.44 लाख की राशि व्यय की गई है ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 16.7.2007 को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक दिवसीय सैमीनार का आयोजन किया गया जिसमें निदेशक, राज्य विधिक अकादमी द्वारा समस्त जिला न्यायवादियों, उप पुलिस अधिक्षक , जिला कल्याण अधिकारियों को उपरोक्त अधिनियमों के कार्यान्वयन के प्रति उनके दायित्वों बारे जागरूक किया गया ।इस कार्यशाला में जिला स्तरीय सर्तकता एवं प्रबोधन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को भी उपरोक्त अधिनियम के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की गई । चालु वित्तीय वर्ष के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत 20,00 लाख रूपए की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है । अधिनियम के व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों पर समिति द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया तथा चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई ।

<u>मद संख्याः 5</u> <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद ।</u>

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उपरोक्त अधिनियमों के उपबंधों के कार्यन्वयन में पुलिस, अभियोजन , जिला प्रशासन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों का विशेष दायीत्व है । इन अधिकारियों को अपने दायीत्व के प्रति और सुग्राही बनाने के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तथा राज्य स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाए ताकि अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जा सके ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई ।

Deputy Director
Dte. of SC, OBC & Minority Affairs
Himachal Pradesh, Shimla - 9

Information supplied under RTI Act-2005
PIO-cum-Superintendent Gr-I (Estt.)
Directorate for the Empowerment of
SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled
Himachal Pradesh